

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ-बास जिला अलवर (राज0)

(प्रशासन गॉवो के संग अभियान ग्रा0प0 मुख्यालय तहनोली)

अध्यासित द्वारा :- श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.

121/21

प्रवेश तिथि

10.9.21

निर्णय तिथि

11.12.21

उनवान

1. रामस्वरूप यादव पुत्र झब्बल राम जाति अहीर निवासी तहनोली तहसील किशनगढबास।

बनाम


1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी तहनोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर।
2. रमेश पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी तहनोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर।
3. सरोज पुत्री रामजीलाल पत्नि रतनलाल जाति अहीर निवासी हाल गुणसार तहसील कोटकासिम जिला अलवर।
4. रामरती पुत्री रामजीलाल पत्नि सत्यवीर जाति अहीर निवासी हाल तहनोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर।
5. मुकेश पुत्री रामजीलाल पत्नि चरणसिंह जाति अहीर निवासी हाल मीरपूर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
6. सुनिता पुत्री रामजीलाल पत्नी अनिल जाति अहीर निवासी हाल निवासी तहसील रिवाली तहसील बहरोड जिला अलवर राज0
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर राज0।

दावा अन्तर्गत धारा 89,188 राज0

काश्तकारी अधिनियम 1955

पर्चाडिक्री 30.11.21

वाद वादी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी बरुयेँ इकबाल जवाब दावा डिक्री किया जाता है कि हाल जमाबंदी संवत 2074-77 में आराजी ख0न0 31 रकबा 0.2200 हे0 में से 15/17 हिस्सा वाके ग्राम तहनोली तहसील किशनगढबास में बकाशत रामजीलाल पुत्र झब्बल अहीर सा0 देह शिकमी साल 3 दर्ज हो रहा है उसे कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा वादी स्वयं वहन करेगा। पत्रावली बाद तकमील लेख भण्डार रहे।

  
(ओम प्रकाश सहारण)  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढबास(अलवर)